82

Recommendations for increasing stipend of internee-doctors

3885. SHRI MADHAVRAO SCIN-DIA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Director General Health Services has recommended to the Government that the stipend payable to internee-doctors be increased from Rs. 450/- to Rs. 730/per month; and

(b) if so, Government's decision thereon?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b) The Delhi Medical Resident Association has demanded an increase in the rate of stipends. Their demand is receiving attention.

(११) प्रकार लाइबेरी के कर्मचारियों जा बोतन झौर मला

3886. श्री चतुर्ग्जः क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के कर्मचारियों के वही बेतन, भत्ते भादि देय हैं, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मंजूर होते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली साइब्रेरी बोर्ड के कर्मचारियों के लिये केन्द्र सरकार की "समूह बीमा योजना मौर सेवा निवृत्ति पेंशन योजना" झभी तक लागू नहीं हुई है; झौर

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हें घीर क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रसाव विचाराधीन है?

शिका और संस्कृति लया समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी) **के॰ थ्र्ंगन): (क)** दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय के कर्मचारी दिल्ली पुस्तकालय बोर्ड (सेवाएं) उप नियमों में यथा निर्धारित वेतनमानों तथा मन्य सेवा शत। के हकदार हैं। ये उप-नियम उस मूल तथा झन्पुरक नियमावली के झाधार पर बनाए गए हैं जो केन्द्रीय सरफारी कर्मचारियों पर लागु हैं।

(ख) भौर (ग) जो, हां।

इस सम्बन्ध में दिल्ली पुस्तकालय बोडें से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हमा है। यद्यपि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी युप बीमा योजना, 1980 दिल्ली पब्लिक पुस्तकालय के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं की जा सफती क्योंकि यह एफ स्वायत्त निकाय है, इस समय पुस्तकालय के कर्मचारी सेवा-निवृत्ति के लाभों के स्थान पर ग्रंगदायी भविष्य निधि के झन्तगैत माते हैं।

Seniority of Officers in the Railway Ministry

3887. SHRI D. P. YADAV: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) is it a fact that the Ministry of Railways had passed an order dated 4-1-82 depressing the seniority of some officers and that these officers had filed a writ petition against the order in the Delhi High Court;

(b) is it also a fact that the Delhi High Court has not only quashed the said order but also stated in its judgement that the order was passed with a closed and biased mind; and

(c) if so, what action does the Miuister for Railways propose to take to ensure that such biased and illegal orders are not passed again?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS AND IN